न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—54 / 2021

जीसीएमएस नं. :—2021 / 113

1. गोमती देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी भगवानाराम जाति नायक निवासी चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. चन्द्रकला पुत्री मोहनलाल पत्नी तनसुख जाति नायक निवासी चक 18 एसपीडी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——— प्रार्थीगण

बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी 19 एपीडी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी 19 एपीडी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सेवक सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 19 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित—

1. श्री तिलकराज चुघ प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह अप्रार्थी सं.—1 व 2 की ओर से
3. एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं.—3 की ओर से

दिनांक :—13/3/26

— :: निर्णय :: —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—1 व 2 के पिता मोहनलाल पुत्र रखाराम जाति नायक के नाम से वाके चक 19 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—80 पत्थर नं.—273 / 401 का किला नं.—1 का 0.164 हैक्टर, 2 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तदादी 6.236 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आयंदा उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल पुत्र रखाराम का देहान्त दिनांक 05.10.2020 को हो चुका है वा प्रार्थीगण की माता रामेश्वरी का देहान्त दिनांक 18.06.2014 को हो चुका है जिनके देहान्त उपरांत प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.—1 व 2 मृतक मोहनलाल व रामेश्वरी के प्रथम [illegible] एवं जायज वारिसान है। चूकिं विवादित भूमि जिसका [illegible] है जो प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में [illegible] है तथा उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व. मोहनलाल के देहान्त उपरांत विरासतन अधिकार के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—1 व 2 को बहिस्सा बरा[illegible] प्राप्त हुई है जिसमें भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.—1 व 2 प्रतयेक का 1 / 4 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण का 2 / 4 हिस्सा है जो पिता मोहनलाल के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं.—1 व 2 के सयुक्तं अधिकार एवं अधिपत्य में थी चूकिं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रार्थीगण औरतजात एंव शादीशुदा है व अपने ससुराल में ही रहती है तथा प्रार्थीगण अपने 2/4 हिस्सा को अपने स्वयं के निदेर्शन में काश्त करवाती है तथा अप्रार्थी सं.–1 व 2 अपने स्वंय के 2/4 हिस्सा को काश्त करते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण तथा विरास्तन इन्तकाल ना होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के मध्य आपस में पारस्परिक विवाद काफी अरसा से चला आ रहा है और हमारे बीच आपस में उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग करने में अक्सर विवाद होता रहता है। उक्त विवादित भूमि का अभी तक पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हई है कि उक्त विवादित भमि मे किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिऐ पक्षकारान के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त आदि को लेकर हर समय विवाद रहता है। जिस सम्बधं में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लेवे व भूमि का खाता विभाजन भी भूमि की किस्म अनुसार कर लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके। लेकिन अप्रार्थीगण हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। प्रार्थीगण का पिता पूर्व में अपनी उक्त समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–3 से हिस्सा ठेका पर काश्त करवाता था तथा अप्रार्थी सं.–3 द्वारा प्रार्थीगण के पिता के जिवित समय में करीब 4–5 वर्ष तक उक्त कृषि भूमि को काश्त किया गया जिस कारण प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी सं. 3 के मध्य अच्छे वैश्वासिक सम्बध कायम हो गये लेकिन अप्रार्थी सं. –3 जो स्वर्ण जाति का अत्याधिक तेज तर्रार किस्म का व्यक्ति है जिसने प्रार्थीगण के पिता के साथ वैश्वासिक सम्बधों का वेजा फायदा उठाकर व प्रार्थीगण के पिता को बहकावे में लेकर प्रार्थीगण के पिता की उक्त कृषि भूमि बैक पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा अनूपगढ़ से केसीसी ऋण तीन लाख रूपये का स्वीकृत करवाकर उक्त केसीसी ऋण की समस्त राशि अप्रार्थी सं.–3 स्वयं हड़प कर गया जो आज भी बैंक का ऋण बकाया है जो अप्रथीं सं.–3 ने आज रोज तक बैंक में नहीं भरा है प्रार्थीगण के पिता के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–3 से कई बार कहा कि उसने प्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल में जो प्रार्थीगण के पिता को मुगालता में रखकर बैक से केसीसी ऋण प्राप्त किया था उस ऋण राशि को बैंक में जमा करवा देवे तो अप्रार्थी सं.–3 ऐसा करने का आश्वासन देता रहा तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 ता 3 को यह भी कहा कि अब आने वाली वैसाखी यानि अप्रेल 2021 के बाद प्रार्थीगण अपने 2/4 हिस्सा की जमीन को स्वयं अपने निर्देशन में ही काश्त करवायेगी। माह मई 2021 में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया जिसके चलते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज होना संभव नंही हुआ जिसका वेजा फायदा उठाकर पिछले कई दिनो से अप्रार्थी सं.–3 प्रार्थीगण को यह धमकीयां दे रहा है कि प्रार्थी आने 2/4 हिस्सा की जमीन आगे काश्त के लिये उसे ही दे नहीं तो न तो प्रार्थीगण को उनके हिस्सा की जमीन काश्त करने देगा और ना किसी अन्य काश्तकार को प्रार्थीगण के हिस्सा की जमीन काश्त करने देगा और ना ही प्रार्थीगण के नाम से विरास्तन इन्तकाल ही दर्ज होगा बल्कि वह जबरदस्ती प्रार्थीगण के हिस्सा की जमीन पर काबिज होकर जमीन को काश्त करेगा तथा प्रार्थीगण जब भी स्वयं अथवा अपने कारतकार के साथ कृषि कार्य के प्रयोजन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मौका पर जाती है तो अप्रार्थी सं.–3 प्रार्थीगण के साथ कृषि कार्य व काश्त को लेकर झगडा फसाद करने पर उतारू हो जाता है जबकि अप्रार्थी सं.–3 स्वर्ण जाति का व्यक्ति है जिसे प्रार्थीगण के स्वामित्व अधिकार व अधिपत्य में किसी प्रकार का भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर जबरन काबिज होकर काश्त करने अथवा प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारो से महरूम करें। आज से अरसा तीन रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्राथी सं.–1 व 2 से तहसील मे चल कर पिता के नाम की दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व समस्त भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटंवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 व 2 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा स्पष्ट कहा कि वे कोई बटंवारा नंहीं करेगें तथा अप्रार्थी सं.–3 ने यह स्पष्ट धमकी दी कि वह प्रार्थीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं होने देगा और ना ही प्रार्थीगण को उनके हिस्सा की जमीन काश्त करने देगा बल्कि वह स्वयं जबरन विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करेगा। प्रार्थीगण निवेदन करती है कि उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण को अपने मृतक पिता मोहनलाल के अधिकार के तहत 2/4 हिस्सा भूमि विरास्तन अधिकार एव अधिपत्य में प्राप्त हुई है जो प्रार्थीगण के संयुक्त अधिकार एव अधिपत्य में है जबकि अप्रार्थी सं.–3 समान्य जाति का व्यक्ति है जिसे प्रार्थीगण के अधिकार एवं अधिपत्य की उक्त विवादित भूमि में कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नंही है लेकिन अप्रार्थी सं.–3 अपने प्रभाव व धनबल से प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर जबरन काबिज होकर काश्त करने के प्रयासरत है जिस सम्बधं में अप्रार्थी सं.–3 ने स्पष्ट धमकीयां दी है जबकि प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश की महिलाएं है अगर अप्रार्थी सं.–3 अपने अवैध मनसुबें में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों से महरूम हो जावेगी जिससे प्रर्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपर्ति मुद्रा की ऐवज में नंही हो सकेगी इसलिऐ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मयः शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–3 विवादित कृषि भूमि वाके चक 19 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 8 पत्थर नं.–273/401 का किला नं.–1 का 0.164 हैक्टर, 2 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तदादी 6.236 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्सा पर प्रार्थीगण के अधिकार, अधिपत्य, कब्जा व काश्त सिंचाई में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से निषिद्ध रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनानुसार स्व. मोहनलाल द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 20.02.2017 को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि स्व. मोहनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपने भाई नानकराम पुत्र रखाराम ते जरिए ईकरारनामा दिनांक 30.05.1996 प्रतिफल की ऐवज में खरीद की थी। लेकिन विक्रेता नानकराम द्वारा ईकरारनामा की पालना में बैयनामा न करवाए जाने के कारण मोहनलाल द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

ईकरारनामा दिनांक 30.05.1996 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का प्रार्थना पत्र माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वाद नियमित दीवानी प्रकरण सं.–22/2004 अनवानी मोहनलाल बनाम नानकराम माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) अनूपगढ द्वारा दिनांक 21.10.2005 को निर्णित एवं डिक्रित किया गया तत्पश्चात डिक्री दिनांक 21.10.2005 की ईजराय की पालना में न्यायालय के मार्फत से उक्त विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 05.08. 2011 को स्व. मोहनलाल के नाम से निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया और तदुपरांत बैयनामा के आधार पर स्व. मोहनलाल के नाम से विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित भूमि स्व. मोहनलाल की स्वयंअर्जित एवं खातेदारी कृषि भूमि थी। मृतक मोहनलालं द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त स्वयंअर्जित एवं खातेदारी कृषि भूमि को लेकर अपनी अन्तिम ईच्छा एवं स्वस्थचित दिमाग से एक वसीयत दिनांक 20.02.2017 को बरोबरू गवाहन हम अप्रार्थीगण के पक्ष में लिखवाकर वसीयत को सुन समझकर एवं सही होना मानकर अपनी अगुठां निशानी अंकित कर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दी थी मूल खातेदार मोहनलाल के निधन के उपरांत उनके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत प्रभाव में आ चुकी है स्व. मोहनलालं अपने जीवनकाल में अपनी स्वयंअर्जित एवं खातेदारी भूमि की वसीयत करने में पूर्णतया सक्षम थे स्व. मोहनलाल द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत एक विधि मान्य दस्तावेज है जिसके आधार पर उक्त प्रश्नत भूमि के समस्त हक अधिकार व अधिपत्य हम अप्रार्थीगण में निहित हो चुके है व वसीयत के आधार पर हम अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार कृषक बन चुके है मौका पर हम अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा है प्रार्थीगण को स्व. मोहनलाल द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत का शुरू से ही ज्ञान है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्व. मोहनलाल द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 20.02.2017 को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्[illegible] अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण अपनी [illegible] से [illegible] हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें [illegible] प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन [illegible]ार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested